[illegible]	पत्रावली पेश हुई वकील वादी प्रतिवादी प्र-5 का जवाब पेश नहीं करना चाहते वास्ते आदेश पत्रावली 7-9-17 को पेश हो।	
7-9-17	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वास्ते आदेश पत्रावली 13-10-17 को पेश हो।	
13-10-17	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया गया वाद पत्र के समर्थन में उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के अभाव में वाद-पत्र सन्देहास्पद प्रतीत होता है वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अस्वीकार कर वाद-पत्र को सन्देहास्पद मानते हुए वाद-पत्र खारिज किया जाता है तदनुसार डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, (बून्दी)

वाद संख्या – 59/2016

पीठासीन अधिकारी

सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस.)

आदेश दिनांक – 26.07.2016

बउनवान

1. कन्हैयालाल आयु 45 वर्ष पुत्र चतुर्भज जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.
2. गिरार्ज प्रसाद आयु 43 वर्ष पुत्र चतुर्भज जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.
3. महेन्द्र कुमार आयु 30 वर्ष पुत्र चतुर्भज जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.

––वादीगण––

–:: बनाम ::–

1. गोपाल आयु 60 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.
2. चतुर्भुज आयु 62 वर्ष पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.
3. रामरतन आयु 50 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.
4. राजेन्द्र आयु 40 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.
5. राज. राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.

––प्रतिवादीगण––

अन्तर्गत् धारा 88,89 आर.टी.एक्ट
अधिकार घोषणा बाबत्

निर्णय

दिनांक – 13.10.2017

वादीगण ने अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.ए. के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि खाता संख्या नई 77 के खसरा नं0 305/0.19, 306/0.40, 319/0.03, 320/4.80, 321/0.30, 432/0.03, 440/0.01 खसरा नं0 484/0.24 कुल किता 8 योग रकबा 6.00 हैक्टर वाके ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का धरावन में तहसील इन्द्रगढ में

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

वाद वर्णित कृषि भूमि के पूर्व खसरा नं0 सम्वत 2022 से 2041 के बन्दोबस्त में खसरा नं0 85 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 89 मिन रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 90 मिन रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 91 मिन रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 146 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं0 126 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 109 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 38 बीघा 19 बिस्वा थे जो 1995 से 2015 बन्दोबस्त में वर्तमान खसरा नम्बर कायम किये गये।

उपरोक्त वाद वर्णित कृषि भूमि पूर्व खातेदार मोत्या वल्द देवा कौम मीणा के खातेदारी मे दर्ज थी। पूर्व खातेदारी मोत्या वल्द देवा द्वारा पृथक पृथक विक्रय पत्रो से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 एवं प्रतिवादी से 2 लगायत 4 के पिता हीरालाल को विक्रय कर दी गई। मुताबिक विक्रय पत्रो के खातोनी संख्या 29/28 की खसरा नं0 90 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा में से 13 बीघा 3 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल आत्मज मन्नालाल को व खातोनी संख्या 29/89 के खसरा नं0 91 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा खसरा नं0 126 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 90 रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा में से शेष रही कृषि भूमि 7 बीघा 13 बीस्वा कुल रकबा 13 बीघा कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 चतुर्भुज पुत्र मन्नालाल को तथा इसी प्रकार खतोनी संख्या 29/89 के खसरा नं0 89 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा खसरा नं0 89/1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा खसरा नं0 91/1 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा खसरा नं0 109/3 रकबा 1 बिस्वा खसरा नं0 146 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के पिता हीरालाल पुत्र मन्नालाल को दिनांक 01.08.1971 को जर्ये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी गई उपरोक्त वाद वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण के दादाजी स्व0 मन्नालाल का कब्जा काश्त चला आ रहा था। वादीगण के दादाजी स्वर्गीय मन्नालाल ने अपने जीवनकाल में उनके कब्जे की कृषि भूमियों को वादीगण के पक्ष में बटवारा कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द कर दिया गया था। तब से वाद वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला जा रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने नाम उक्त विक्रय पत्रो का फायदा उठाकर नामान्तकरण अपने नाम तस्दीक करवाने विक्रय करने की धमकी देने पर विवाद उत्पन्न हुआ यही वाद उत्पत्ति का कारण है। और निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी पर वादीगण को खातेदार घोषित करने की डिक्री फरमाई जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामील अनुपस्थित रहने उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073, प्रदर्श 2 विक्रय पत्र, प्रदर्श 3 विक्रय पत्र प्रदर्श 4 विक्रय पत्र, प्रदर्श 5 नकल जमाबन्दी सम्वत 2045 से 2048, प्रदर्श 6 सीगा मोजा रघुनाथपुरा प्रदर्श 7 मिलान क्षैत्रफल सन 1995 से 2015 प्रदर्श 8, मिलान क्षैत्रफल सम्वत

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

...2 से 2041 प्रदर्श 9 ग्राम पंचायत नौताडा धरावन प्रमाण पत्र दिनांक 30.11.2016 पेश किये हैं एवं मौखिक साक्ष्य में वादी पी.डब्लू. 1 कन्हैयालाल का शपथ पत्र पी.डब्लू. 2 ...मोहन गुर्जर साकिन रघुनाथपुरा एवं पी.डब्लू 3 गोविन्ददास बैरवा साकिन धरावन का शपथ पत्र पेश किया है।

पत्रावली लोक अदालत की भावना से दिनांक 11.02.2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत मे रेफर किया गया। नियत दिनांक 08.02.2017 प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रा0पत्र आदेश –9 नियम 7 जा0दी0 एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त करने एवं वादीगण व प्रतिवादीगण की और से साथ ही लिखित राजीनामा पेश किया गया। जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत राजीनामा की प्रतिवादी संख्या 5 को दिलाई जाकर तहसीलदार की जॉच रिपोर्ट ली गई।

(1) हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 1 जमाबन्दी में वाद वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड के मुताबिक वादीगण व प्रतिवादीगण का कोई उल्लेख नही है। पूर्व खातेदार का नाम ही रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। जबकि पूर्व खातेदार द्वारा सन 1971 मे ही बेचान करना वाद पत्र में बताया गया है।

(2) वाद पत्र के समर्थन में जो विकय पत्र प्रदर्श 2 लगायत प्रदर्श 4 पेश किये है। लगभग 46 वर्ष पूर्व के है वादीगण द्वारा वाद पत्र में पूर्व खातेदार की मृत्यु लगभग 35–40 वर्ष पूर्व होना एवं पूर्व खातेदार के विधिक वारिसान नही होना बताया गया है। इस बाबत वादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रमाण स्वरूप दस्तावेज पेश नही किये गये न ही खातेदार के वारिसान को वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया।

(3) प्रस्तुत वाद पत्र में राजीनामा से स्पष्ट होता है कि वादीगण के दादा मन्नालाल के प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता हीरालाल जायन्दा पुत्र थे। वादीगण के दादा मन्नालाल ने वाद वर्णित आराजी को कय करते वक्त लगभग बराबर–बराबर हिस्से की कृषि भूमि तीनो पुत्रो के नाम कय की गई होगी। वादीगण प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान है।

(4) वाद पत्र में यह बताया गया है कि वादीगण के दादा मन्नालाल ने वाद वर्णित आराजी उनके जीवनकाल में ही वादीगण को सुपुर्द कर दी गई। इस बाबत परिवारिक बटवारा सम्बन्धी कोई तहरीर अथवा बटवारा पत्र साक्ष्य के रूप मे प्रस्तुत नही किया गया जबकि राजीनामा मे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 द्वारा वाद वर्णित आराजी को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र से सयुक्त आय से कय करना बताया है। प्रतिफल राशि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अदा की गई। वादीगण क्षरा प्रस्तुत पहचान पत्रों से वक्त कय भूमि सन 1971 मे नाबालिक होना स्पष्ट होता है।

(5) वाद पत्र मे प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 6 जमाबन्दी मे दर्ज खसरा नम्बर के अनुसार विकय पत्र का पंजीयन हुआ प्रदर्श 6 जमाबन्दी मे खातेदार मोत्या, नहनगा पिता देवा कौम मीणा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है जबकि नेहनगा भी सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। जबकि विक्रय पत्र मोत्या वल्द देवा मीणा द्वारा ही किये गये है जो सन्देहावद प्रतीत होते है। विक्रय पत्रों के बाद की जमाबन्दी मे सेटलमेंट के बाद के खसरा नं0 है जिनका मिलान विक्रय पत्रों से नही होता है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु दायर किया जाना तथा पूर्व खातेदार की मृत्यु 30–35 वर्ष पूर्व होना खातेदार के विधिक वारिसान नही होना प्रदर्श 6 जमाबन्दी मे खातेदार मोत्या, नहनगा पिता देवा कौम मीणा साकिन देह दर्ज होना एवं वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे अंकित खसरा नम्बरों मे भिन्नता होना एवं वाद पत्र के समर्थन मे उचित साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के अभाव में वाद पत्र सन्देहास्पद प्रतीत होता है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अस्वीकार किये जाने योग्य एवं वाद पत्र को सन्देहास्पद मानते हुये वाद पत्र खारिज योग्य प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्यों के अभाव में खारिज किया जाता है। तदानुसार डिक्री जारी हो।

(गरिमा लाटा) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

ड़िगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम लाखेरी

सुश्री गरिमा लाय R.A.S. ....

2 कन्हैयालाल पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा वगैरह तहसील इन्द्रगढ़ .... बनाम 1 गोपाल पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील इन्द्रगढ़ वगैरह

P.T.O.

वादीगण

दावा बाबत 88, 89 R.T.A.

मुकदमा नम्बर 59/दावा/2016 .... सन ....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल क़तई रूबरू हमारे .... व हाजिरी श्री बी.के. रायका, श्री सुरेशवर्मा एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू ....

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

निज.......... मुबलिग.......... बाबत.......... खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह.......... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.......... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13-10-2017 माह..........

सन.......... को जारी की गई।

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

मुहर

ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

2. गिरिजप्रसाद पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तह
इन्द्रगढ़ जिला बूंदी

3. महेन्द्रकुमार पुत्र चतुर्भुज जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा तहसील
इन्द्रगढ़ जिला बूंदी

वादीगण

बनाम

2. चतुर्भुज पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा
3. रामरतन पुत्र मन्नालाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा
4. राजेन्द्र पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा
~~निवास~~ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंदी
5. राजस्थान राज्य सभी तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बूंदी

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाडपुरा (बून्दी)